कार्यालय– जिला समाज कल्याण अधिकारी अलीगढ।

पत्र संख्या 3591 /स0क0/छात्रवृत्ति/2026–27 दिनांक 19/08/26

1– कुल सचिव/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय/अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय/ मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ।

2– समस्त प्राचार्य/निदेशक,
कालेज/मैडीकल/बी0एड0/बी0टी0सी/पौलोटिक्निक इत्यादि अलीगढ।

विषयः– वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026–27 में जारी समय–सारणी के अनुसार लॉक की फीस की पत्रावाली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 91/2026/1941/26–3–2026–1741061 समाज कल्याण अनुभाग–3 दिनांक 20.07.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय–सारणी निर्गत की गयी है, को संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया गया था कि समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। कार्यालय पत्र संख्या सी–2919 दिनांक 23.07.2026 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। जिसके अनुसार आप द्वारा प्रोफाइल का लाक करने एवं फीस को लॉक करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी थी।।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है। कि आप द्वारा लॉक की गयी प्रोफाइल एवं फीस लॉक के प्रपत्र एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग ऐजेन्सी से फीस लॉक कराते हुए पत्रावली में निम्न प्रपत्रों के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

1	संस्था की आनलाईन अपडेट की गयी वर्ष 2026–27 की आनलाईन प्रोफाईल।
2	आन लाईन लॉक किये गये संचालित पाठयकम/सीट/शुल्क/मार्क्स रिपोर्ट।(Course Fee Lock Certificate 2026_27)
3	Regular student: admitted student category wise details
4	आन लाईन संरक्षित डिजीटल सिग्नेचर की प्रति।
5	पाठयकम की मान्यता/सम्बद्धता का पत्र, अनुमोदित सीट का पत्र (वर्षवार)
6	सक्षम अधिकारी से निर्धारित शुल्क का पत्र (वर्षवार)
7	SEAT MATRIC की छायाप्रति जा विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज लांगिन पर उपलब्ध है।
8	अनुमोदित प्राचार्य एवं संचालित पाठयकमो की अनुमोदित सीटो के सापेक्ष अनुमोदित शैक्षिणक स्टाफ की छायाप्रति संलग्न प्रारूप पर अनुमोदित प्राचार्य एवं फैकल्टी के संबध में सूचना का प्रेषण। जिन संस्थानों में डी0एल0एड0 भी संचालित है उसकी सूचना भी अलग से संलग्न प्रारूप पर संलग्न की जाये।
9	संस्था की प्रबन्ध समिति/ट्रस्ट का पत्र।
10	गत वर्ष 2025–26 में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के परीक्षा देने/कक्षाओं के संचालन के सबध में आनलाईन भरी गयी सूचना की प्रति।
ख	**आवश्यक दिशा–निर्देश**
11	निजी क्षेत्र के संस्थान के मुख्य द्वार एवं प्रधानाचार्य/कार्यालय कक्ष का GPS with longitude &latitude सहित 2 रंगीन फोटो (Size 6x4) जिस पर संस्थान का नाम व पता दृष्टव्य हो मास्टरडाटा के साथ जमा करायें।
12	समस्त संस्थान अपने नाम का साईन बोर्ड जिस पर पूर्ण पता अकिंत हो अवश्य रूप से लगाये यदि एक ही कैम्पस में उसी समिति/ट्रस्ट के कई संस्थान संचालित है तो प्रत्येक संस्थान के नाम का साईन बोर्ड अवश्य लगायें। यदि संस्थान मुख्य मार्ग से हटकर अन्दर सम्पर्क मार्ग पर है तो मुख्य मार्ग पर भी बोर्ड स्थापित करें।
14	संस्थान द्वारा पत्राचार करते प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ–साथ प्राचार्य का नाम अवश्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।
15	दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार 75 प्रतिशत हाजरी की उपस्थिति देने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र है तथा संस्थानों के द्वारा अपने लांगिन से छात्रों की 75 प्रतिशत की हाजरी आनलाईन सत्यापित की जाती है एवं इस सवंध मे संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। समस्त छात्रों को 75 प्रतिशत उपस्थिति का अनुपालन करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। इसकी पुष्टि के लिये समय–समय पर किसी भी दिन संस्थान को साक्ष्य (GPS फोटो) उपलब्ध कराने होंगे।
16	छात्रों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान मे लाया गया है कि मान्यता में दिये गये स्थान पर शिक्षणकार्य ना कराकर उसी

	ट्रस्ट/समिति की अन्य शिक्षण संस्थान में शिक्षण कार्य कराया जाता है। विश्वविद्यालय/बोर्ड से जारी मान्यता में अंकित स्थान पर ही कक्षायें संचालित किये जाने का प्रविधान है। अतः प्रत्येक दशा में अनुपालन करना सुनिश्चित करें। शिकायत प्राप्त होने पर सबधित विश्वविद्यालय/बोर्ड को सूचित करते हुये मास्टर डाटा से संस्थान का नाम हटाने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।
17	निजी क्षेत्र के संस्थानों में अन्य दूरस्थ जनपदों के शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र जिनके द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, जनपद मे किस स्थान पर निवास कर रहे है इसका भी साक्ष्य देना होगा ताकि विभागीय कर्मचारियों से तस्दीक करायी जा सके। मांग पत्र प्रस्तुत करते समय ऐसे छात्रों की सूचना पूर्ण पते एवं मोबाईल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
18	संस्थान में प्रवेश प्रत्येक छात्र/छात्रा का एडमिशन फार्म पूर्ण प्रविष्टि सहित रक्षित होना चाहिए।
19	छात्र हास्टलर है या डेस्कालर इस बात का परीक्षण करने के उपरांत ही आनलाईन आवेदनपत्र फारवर्ड कराना सुनिश्चित करें।
20	राजकीय एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों को फ्रीशिपकार्ड योजना का लाभ दिलाये जाने संबधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
21	संस्थानोंमें सी0सी0टी0वी0 कैमरेभीक्रियाशीलरखें।जांच के समय उच्चाधिकारियों के समक्ष रिकार्डिंगप्रस्तुतकरें।
22	निजी क्षेत्र के संस्थानों में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों का शून्य बैलेन्स पर प्रवेश की प्रकिया शासनादेशानुसार जून 2018 से बन्द है।
23	छात्रवृत्ति आवेदन कराने से पूर्व छात्र का आपके लांगिन पर प्रदर्शित Student track Record से परीक्षण कर ले कि उसके द्वारा पूर्व में कोई समकक्ष कोर्स तो नहीं किया गया है।
24	वह संस्थान जो किराये के भवन में संचालित है उनका रजिस्टर्ड किराया-नामा प्रस्तुत करें ताकि संस्थान संचालक व भवन स्वामी के मध्य कोई विवाद की स्थिति न हो।

नोट– इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में प्रत्येक दशा में अनुमोदित प्राचार्य के डिजीटल सिग्नेचर से ही डाटा अग्रसारित करना सुनिश्चत करें।

9/8/16

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ।

पृष्ठाकन संख्या व तद्‌दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– निम्नाकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अलीगढ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ।
4. उप निदेशक, समाज कल्याण अलीगढ मण्डल अलीगढ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अलीगढ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अलीगढ